

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उनवान

नेमा पुत्र मगाराम कौम कुम्हार निवासी सादडी
बनाम

कीका पुत्र मगाराम कौम कुम्हार निवासी सादडी

दावा बाबत - बंटवारा राजकाशत अधि 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 91 / 16

निर्णय

दिनांक :- 29 / 06 / 2016

वादी नेमा पुत्र मगाराम कौम कुम्हार निवासी सादडी व प्रतिवादी कीका पुत्र मगाराम कौम कुम्हार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29 / 06 / 16 को. पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

नेमा पुत्र मगाराम कौम कुम्हार सा.देह खातेदार के नाम ग्राम सादडी चक प्रथम पटवार वृत सादडी चक प्रथम तहसील देसूरी के ख.न 804 रकबा 0.32 है. किस्म बा.अ. लगान 2.24 एवं कीका पुत्र मगाराम कौम कुम्हार सा.देह खातेदार के नाम ग्राम सादडी चक प्रथम पटवार वृत सादडी चक प्रथम तहसील देसूरी के ख.न 803 रकबा 0.31 है. किस्म बा.अ. लगान 2.17 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 29 / 06 / 2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

दिनांक-29 / 06 / 2016

क्रमांक / शिविर / 2016 /

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(देसूरी निवासी)
एवं पदेन सहा. कलक्टर।